

( राजस्थान-सरकार )

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 54 / 2024

पंजीकरण सं. :- 2024 / 132

**बचनवान**

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों (प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री अंशुल गोयल उम्र 40वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गोयल जाति महाजन निवासी चूड़ी बाजार, बारों राज0 (विक्रेता) मै.- बृजमोहन सुखदेव प्रसाद अग्रवाल, एचपी पेट्रोल पंप के पास, मेलखेडी रोड, बारों जिला बारों।
2. श्री महेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री बृजमोहन गोयल जाति महाजन निवासी चूड़ी बाजार, बारों राज0 (मालिक) मैसर्स- बृजमोहन सुखदेव प्रसाद अग्रवाल, एचपी पेट्रोल पंप के पास, मेलखेडी रोड, बारों जिला बारों। (अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.(अवकाश पर) (प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

**निर्णय दिनांक 27.08.2024**

प्रकरण राजस्थान सरकार जय श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2024 को मैसर्स- बृजमोहन सुखदेव प्रसाद अग्रवाल, एचपी पेट्रोल पंप के पास, मेलखेडी रोड, बारों जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री अंशुल गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गोयल (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** लगभग 670 लीटर रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** के 500-500 एमएल के 04 मूल पॉलीपैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री अंशुल गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गोयल (विक्रेता) को 1280/- रूपये (अक्षरे बारह सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-2032 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-2032 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक ने **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार 695 लीटर घी सीज किया गया है।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अंशुल गोयल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गोयल (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/652 दिनांक 26.03.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 181/PHL/kota/Act/2023/236 दिनांक 18.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub standard)** एवं धारा 2.3.7(2) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्जे रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया। प्रकरण में निर्णय दिनांक को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां अवकाश पर रहने के कारण उनके द्वारा उनकी बहस पूर्व में ही सुना दी गई, उनसे दूरभाष पर वार्ता करने पर अवगत करवाया गया कि परिवाद में अंकित तथ्यों को ही मेरी ओर से बहस के रूप में लिखा जावे। प्रकरण में आज दिनांक को अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **श्री सरस एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जाँच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub standard)** एवं धारा 2.3.7(2) के तहत **नियम का उल्लंघन (Contravention to Regulation)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थीगण के द्वारा** दौराने बहस कथन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ हमने कंपनी से खरीदा था जिसका बिल हमारे पास नहीं होने के कारण कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है। हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि हमारे विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्घे खलद सुरकुषल अधलकलरी बलरों दवलरल कलहल गलल कल अडरलरुथीगण डदल खलद वलशुलेषक, कुलतल से डुरलडुत ऑलंक रलडुलरुत कडरलंक 181/PHL/kota/Act/2023/236 दलनलंक 18.03.2024 से असनुषुत थे तुल अडरलरुथीगण कुल जरुथे डतुर सूकुतल कलडल ऑलकर एक डलह कल डडड दलडल गलल थल कल उकुत सेडुडल कुल डुनः ऑलंक करवलडे। कलनुतु अडरलरुथीगण दवलरल उकुत सेडुडल कुल डुनः ऑलंक नलरुथी करवलडी गरुडु है।

**डुरकुरण डें उडडडडकुष कल** अंतलड डहस सुनल गरुडु और डतुरलवली कल आदुडुडलनुत अवलुकन कलडल गलल। डुरकुरण डें अडरलरुथीगण से वलसुते नडुनल ऑलंक हेतु कुरड कलडल गलल खलद डदलरुथु **शुरी सरस एगडलरुकु घी डुल गतुते डैक** नलरुदुषुत खलद वलशुलेषक, कुलतल से डुरलडुत ऑलंक रलडुलरुत कडरलंक 181/PHL/kota/Act/2023/236 दलनलंक 18.03.2024 से धलरल 3(1)(zx) के तहलत अवडलनक(**Sub standard**) एवं 2.3.7(2) के तहलत नलडड कल उलुलंघन (**Contravention to Regulation**) हुलनल डलडल गलल। उकुत कृतुड खलद सुरकुषल एवं डलनक अधलनलडड, 2006 रूलस, 2011 कुल धलरल 26 कुल उड धलरल 2(11) के तहलत अडरलध कुल शुरेणी डें आतल है ऑलसकल ऑुरडलनल खलद सुरकुषल एवं डलनक अधलनलडड, 2006 रूलस, 2011 कुल धलरल 51 एवं 58 के तहलत अडरलरुथीगण कुल कुल ऑुरडलनल रलशल 20,000 /- रूडडे (अकुषरे डीस हऑलर रूडडे) के आरुथलक दणुड से दणुडत कलडल ऑलतल है। अडरलरुथीगण उकुत ऑुरडलनल रलशल रूडुडुडु सेवल केनुदुर से ऑलललन नलकलवलकर, ऑलरलडे ऑलललन डैंक डे नलरुधलरलत डद 0210 ऑलकलतुसल एवं लुक सुवलसुथु, 04 लुक सुवलसुथु, 800 अनुड डुरलडुतलडलं, 03 खलद सुरकुषल कलनुन के अनुतुरगत अनुऑलल डतुर शुलुक आदल डें ऑडल करवलकर, ऑलललन कुल डुरतल इस नुडलडललड डे अनुदुर एक डलह डुरसुतल करे।

डुरकुरण डें सीऑ कलए गए 695 लीतर घी के संबंघ डें डुरलरुथी शुरी गुलवर्धन सलंघु खुडलललडल, खलद सुरकुषल अधलकलरी, बलरलं कुल आदुशलत कलडल ऑलतल है कल सीऑ कलए गए घी कल नलडडलनुसलर नलसुतलरण करुं।

नलरुणुड आऑ दलनलंक 27.08.2024 कुल डेरे दवलरल खुले नुडलडललड डें सुनलडल गलल।

(दलवलंशु शरुडु)  
नुडलड नलरुणुडन अधलकलरी एवं  
अतल0 ऑललल डऑलसुतुरेड,  
बलरुं (रलऑ.)